दिनाक 02.11.2020
प्रेस विज्ञप्ति–02 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा यातायात माह नवम्बर–2020 के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश

यातायात प्रबन्धन व सड़क सुरक्षा पुलिस की एक महत्वपर्ण जिम्मेदारी होती है। प्रतिवर्ष लगभग 42000 सड़क दुर्घटनायें होती है,जिनमें लगभग 28000 लोग घायल होते है, तथा 22000 से अधिक लोग मृत्यु का शिकार होते है। यह संख्या किसी भी होने वाली अप्राकृत्तिक मानव मृत्यु (हत्या, आत्म हत्या व अन्य अस्वाभाविक मृत्यु) से अधिक है।

- सड़क सुरक्षा के मानको का पालन करने के चार आवश्यक स्तम्भ है, जिन्हें 4E के नाम से जाना जाता है। इसके अन्तर्गत Education (शिक्षा), Enforcement (प्रवर्तन), Engineering (अभियात्रिंकी) व Emergency Care (आपातकालीन देखभाल) है। इन चारों पहलुओ का सड़क दुर्घटना और मृत्यु को कम करने में महती योगदान होता है।
- उत्तर प्रदेश शासन ‘‘स्टाकहोम घोषणा–2020’’ के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत की कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रतिवर्ष इसमें 10 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्तमान प्रणालियों और संस्थानो को मजबूत करने तथा जरूरत पड़ने पर नयी प्रणालियाँ बनाने के साथ–साथ विशिष्ठ जोखिम कारकों को लक्षित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।
- अतः सड़क दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष की भांति माह नवम्बर को ‘‘यातायात माह’’ के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, कमिश्नरेट लखनऊ / गौतबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपदों को पूर्व की भांति इस वर्ष भी माह नवम्बर–2020 को यातायात माह के रूप में मनाये जाने के निर्णय के क्रम में यातायात माह के दौरान वर्तमान कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार, उ0प्र0 शासन तथा मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुये इस सम्बन्ध में सावधानी व बचाव का विशेष ध्यान रखते हुये व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को व्यवसायिक तरीके से आम नागरिकों को सड़क प्रयोग, सड़क नियम तथा सुरक्षा उपाय के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक कराये जाने एवं यातायात नियमों / संकेतों का योजनाबद्ध रूप से व्यापक प्रचार–प्रसार सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निम्न दिशा–निर्देश दिये गयेः–

स्कूल/कालेजों में छात्र–छात्राओं में जागरूकता कार्यक्रम

- एनसीसी कैडेट, एनएसएस के छात्र छात्राओं के सहयोग से स्कूल/कालेज के छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी तथा स्कूल/कालेज में संगोष्ठी एवं परिसंवाद इत्यादि तथा परिसर के बाहर चिन्हित मुख्य यातायात जंक्शन पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के साथ रहकर वाहन चालकों को जागरूक किया जाये।
- स्कूल कालेजों में जनपद स्तर पर यातायात विषय पर निबन्ध, चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज एवं नुक्कड़ नाटक आयोजित करायी जाये। विजेयताओं को जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं पुरस्कार वितरण कराये जायें।
- वूमेन पावर लाइन 1090 पावर एन्जिल्स के माध्यम से उनके परिवारीजनों, सम्बन्धियों व आस–पड़ोस के लोगों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया जाय।

• वाहन चालको हेतु जागरूकता कार्यक्रम

- राजमार्गो पर सड़कों के किनारे स्थित ढाबों व होटल पर स्थानीय थाने के प्रभारी द्वारा वाहन चालकों विशेष कर ट्रक चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया जाय तथा वाहन पर रेट्रो–रिफलैक्टिव/रिफ्लैक्टिव शीटों और टेपों को लगाने हेतु प्रेरित किया जाय एवं लगवाया जाय।
- जनपद के ट्रैक्टर मालिकों/चालकों को भी प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जाये। रेलवे क्रासिंग पर पार करने एवं मोड़कर ट्रैक्टर चलाने आदि के सम्बन्ध में उन्हें सचेत किये जाने की आवश्यकता है। टैक्ट्रर ट्राली पर रिफ्लेक्टर्स रेट्रो–रिफलैक्टिव/रिफ्लैक्टिव शीटों और टेपों को लगाने हेतु प्रेरित किया जाय एवं लगवाया जाय।
- आटो–रिक्शा, ई–रिक्शा, बस व टैक्सी चालाकों के संगठन के माध्यम से उनकी बैठक बुलाकर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाय।
- उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्थानीय चिकित्सा विभाग के सहयोग से वाहन चालकों का बी0पी0, कान व आई–साईट(Eye-sight) चेकअप कराया जाय।

• आमजन हेतु जागरूकता कार्यक्रम

- **हाइवे के आसपास के निवासियों को जागरूक किया जाय**– विशेष रूप से हाईवे के दोनों ओर रहने वाले स्थानीय लोगों में यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के बिन्दुओं के सम्बन्ध में जानकारी अवश्य प्रदान की जाये तथा उन्हें जागरूक किया जाये। हाईवे पर निर्माण सामग्री रखने में सावधानी बरतने व उसे तत्काल हटाने हेतु सर्व सम्बन्धित को जागरूक बनाया जाये।

- वाहनों के रख—रखाव के प्रति आम नागरिकों को जागरूक किया जाये। वाहन चालकों/मालिकों को चकाचौंध करने वाली लाइट के खतरे के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाकर हेडलाइट्स की हाई तथा लो बीम के सही उपयोग हेतु प्रेरित किया जाय।
- पैदल चलने वालों के लिये भी सड़क पर सुरक्षित रहने हेतु जागरूकता फैलाने के लिये कार्यवाही की जाये।

• <u>प्रचार—प्रसार के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार—प्रसार</u>

विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार—प्रसार किया जाय जैसे—

- सिनेमाघरों में संक्षिप्त मूवी/क्लिप की स्लाइड दिखाना।
- आकाशवाणी व एफएम रेडियो के माध्यम से।
- स्थानीय समाचार पत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों/पदाधिकारियों के विज्ञापन निकालकर।
- सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर द्वारा।
- उ0प्र0 यातायात पुलिस तथा जनपदीय पुलिस यातायात प्रबन्धन हेतु सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो यथा फेसबुक, व्हाट्सएप व ट्विटर आदि का प्रयोग करना सुनिश्चित करें।

<u>सुगम यातायात व्यवस्था प्रबन्धन हेतु अन्य विभागों/एजेंसियों के सहयोग से आधारभूत संरचना एवं व्यवस्थायें करना</u>

- जनपद में ऐसे प्रमुख मार्ग तथा जंक्शन/चौराहे व तिराहे चिन्हित कर लिये जाये जहां जाम की स्थिति रहती है। इन चिन्हित स्थानों पर सम्बन्धित विभागों एवं एजेन्सियों के सहयोग से सुगम यातायात प्रबन्धन हेतु यातायात संकेत/चिन्ह, फ्लोरोसेन्ट रिफलेक्टर व रोड़ रिफलेक्टर, यातायात सिग्नल, रोशनी रहित मार्गो में स्ट्रीट लाइट लगवाना, ऐसे मार्ग जहां डिवाइडर नहीं है, चिन्हित कर वहॉ दो लेन वाली सड़को के लिये पीली/सफेद एकल खण्डित अथवा एकल निरन्तर ठोस रेखा (बैरियर रेखा), अवैध कटों को बन्द कराया जाना, नो पार्किंग साइनेज, वेन्डिंग तथा नो वेन्डिंग जोन से सम्बन्धित बोर्ड आदि व्यवस्थायें करायी जायी।

➢ <u>आपातकालीन देखभाल</u>

- सड़क दुर्घटना में घायल/पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु गोल्डन आवर में समुचित प्रयास किये जाये।

नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण

- सभी यातायात पुलिस कर्मियों को यातायात संकेतों के संचालन, प्रवर्तन, अभियांत्रिकी, आपतकालीन चिकित्सा सुविधायें, यातायात शिक्षा, उपकरण, पार्किंग प्रबन्धन, यातायात प्रबन्धन में सोशल मीडिया का उपयोग, व्यवहार, सड़क सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाय।
- यातायात ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों व होमगार्डो की यथोचित ब्रीफिंग की जाये।
- प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने हेतु उक्त के अतिरिक्त यदि स्थानीय स्तर पर यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु कोई उचित बिन्दु आवश्यक समझते हों तो उन्हें भी सम्मिलित किया जाय।

<u>श्री ईश्वर चन्द्र द्विवेदी,आई0पी0एस0 (रिटायर्ड)को''Paul H.Appleby''Award</u>

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA), इन्द्रप्रस्थ स्टेट रिंग रोड नई दिल्ली द्वारा श्री ईश्वर चन्द्र द्विवेदी आई0पी0एस0(रिटायर्ड) को उनके प्रतिष्ठित सेवा, देश में लोक प्रशासन की कला और अनुशासन में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुये कोविड–19 के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाइन्स के क्रम में आन लाइन/डिजिटल मोड में **<u>''Paul H.Appleby''Award</u>** प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी।

श्री ईश्वर चन्द्र द्विवेदी आई0पी0एस0 (रिटायर्ड) द्वारा अक्टूबर 1955 में भारतीय पुलिस सेवा को ज्वाइन किया गया था। अपने सर्विस काल में सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेंशन(C.B.I.), डायरेक्टर विजिलेन्स सहित अन्य महत्वपूर्ण पदो पर कार्य किया गया। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इनके द्वारा 1975 में यूनाटेड नेशन्स इन्स्टीट्यूट फॉर एशिया एण्ड फार ईस्ट इन टोक्यो जापान में 14 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अगस्त 1976 में मैक्सिको सिटी में आयोजित इन्टर नेशनल वर्कशाप ''Thefts of Cultural Property'' में भी प्रतिभाग किया गया। अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात छत्रपति साहू जी महराज यूनिवर्सिटी कानपुर में इक्सक्यूटिव काउन्सिंल के मेम्बर के रूप में नियुक्त हुये। श्री द्विवेदी 1998 उ0प्र0 पुलिस पेन्शनर्स कल्याण संस्थान में प्रेसिडेन्ट नियुक्त हुये तथा रिटायर्ड सीनियर पुलिस आफिसर एसोशिएशन के प्रेसिडेन्ट भी है। अपने सेवाकाल में उन्हें पुलिस मेडल फॉर मैरीटोरियस सर्विस, प्रतिष्ठित सेवा हेतु प्रेसिडेन्ट पुलिस मेडल सहित अन्य पुरस्कारो से पुरस्कृत किया गया है।

जनपद अमेठी/थाना संग्रामपुर

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 01.11.2020 को थाना संग्रामपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धनापुर चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी सूरज को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद अमेठी के थाना संग्रामपुर में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट के 08 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 365/2020 धारा 2(3)1 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सूरज निवासी धनापुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

जनपद शाहजहाँपुर/ थाना निगोही

- **25000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनाक 01.11.2020 को थाना निगोही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना निगोही क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अपराधी सलीम को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट के 06 अभियोग पंजीकृत है, तथा अभियुक्त थाना निगोही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25000/– रू0 का पुरस्कार घोषित था ।

इस सम्बन्ध में थाना निगोही पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

सलीम निवासी ग्राम तालगांव थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर।

जनपद मथुरा/थाना नौहझील

- **लूट की घटना का अनावरण, 05 शातिर अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के 30 हजार रूपये नगद, लूट की 02 मोटर साइकिल**
- **लूट के 03 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02–11–2020 को थाना नौहझील पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ट्यूबैल सर्विस रोड के पास से 05 शातिर अभियुक्तो 1–नकुल उर्फ मूला, 2. प्रमोद उर्फ लूला, 3. रमेश 4. जीतू उर्फ फिरंगी उर्फ जितेन्द्र, 5.युद्धवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 30 हजार रूपये नगद, लूट की 02 मोटर साइकिल, लूट के 03 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्व जनपद मथुरा, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर लूट के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है तथा दिनांक 04.09.2020 को यमुना एक्सप्रेस–वे माइलस्टोन पर बस कन्डक्टर से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना नौहझील पर मु0अ0सं0 320/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद माल उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना नौहझील पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नकुल उर्फ मूल प्रधान नि0 गौरोला थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।
2. प्रमोद उर्फ लूला नि0 गौरोला थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।
3. रमेश नि0 गौरोला थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।
4. जीतू उर्फ फिरंगी उर्फ जितेन्द्र नि0 संग्रामपुर थाना खैर जनपद अलीगढ़।
5. युद्धवीर नि0 खाजपुर थाना नौहझील जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लूट के 30 हजार रूपये नगद।
2–लूट की 02 मोटर साइकिल।
3–लूट के 03 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद महराजगंज/थाना घुघली

- **01 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 07 मोटर साइकिल**

दिनांक 01–11–2020 की सांय थाना घुघली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करमहा टोला मोड़ से अभियुक्त फिरोज आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने वाहन चोरी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना घुघली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फिरोज आलम नि0 सोहसा वसूली फार्म थाना कोठीभार महराजगंज।

बरामदगी

1–कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल।

जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर

- **अपरहरण की घटना का अनावरण**
- **अपहृत सकुशल बरामद**

दिनांक 01.11.2020 की सायं थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान जमुवाड़ा चौराह, नरैनी करतल रोड से 04 अभियुक्तों 1–दीपचन्द्र 2–रविन्द्र कुमार 3–तीरथ राम व 4–मनीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अपहृत 10 वर्षीय बालक को सकुशल बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.10.2020 को श्री राकेश राजपूत नि0 फुटाकुआं थाना को0 नगर जनपद बांदा द्वारा सूचना दी गयी कि उसके इकलौते पुत्र का अपहरण कर फिरौती की मांग की गयी है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुये 24 घण्टे के अन्दर घटना में सम्मिलित किरायेदार सहित तीरथ राम सहित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अपहृत की सकुशल बरामदगी की गयी।

इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपचन्द्र नि0 बिलगांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

2–रविन्द्र कुमार नि0 रीवन करहिया थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

3–तीरथ राम नि0 बिलगांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

4–मनीष नि0 बिलगांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

एसटीएफः क्रिकेट आई0पी0एल0 ट्राफी के तीन सट्टेबाज गिरफ्तार

दिनाकः 01.11.2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को क्रिकेट की आई0पी0एल ट्राफी के सट्टेबाज/बुकी रविशंकर प्रसाद, प्रिन्स जायसवाल, रत्नेश उर्फ गुड्डू सोनी को सट्टेबाजी में प्रयुक्त उपकरण एवं सट्टेबाजी से प्राप्त धन, अभिलेखों के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— रविशंकर प्रसाद पुत्र श्री रमेश प्रसाद ग्राम—झुगुआ, थाना—कसया, जनपद—कुशीनगर।

2— प्रिन्स कुमार जायसवाल पुत्र श्री राजेश कुमार जायसवाल ग्राम—वार्ड न0—27 पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर, थाना—कसया, कुशीनगर।

3— रत्नेश उर्फ गुड्डू सोनी पुत्र श्री महाबीर सोनी ग्राम—वार्ड न0—27 पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर, थाना—कसया, कुशीनगर।

बरामदगीः

1— नकद रू0—70,000/ ।

2— 05 अदद मोबाइल फोन जिसका प्रयोग आन लाइन सट्टे बाजी में भाव लगाने के लिये किया जाता था।

3— 07 अदद अभिलेख जिसमें सट्टे का आंकड़ा अंकित है।

4— 02 अदद अंगूठी पीली धातु जो सट्टे के पैसे से खरीदा गया था।

5— 01 अद्द चैन पीली धातु जो सट्टे के पैसे से खरीदा गया था।

6— 01 अदद अंगूठी सफेद धातु जो सट्टे के पैसे से खरीदा गया था।

7— 02 अद्द आधार कार्ड।

8— 01 अद्द पेनकार्ड ।

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश को आई0पी0एल0 ट्राफी (क्रिकेट) में सट्टेबाजी करने वाले गिरोह के सक्रिय होकर सट्टेबाजी किये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्मेश कुमार शाही के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर के निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक—01.11.2020 को मुखबिर की सूचना से ज्ञात हुआ कि थाना कैण्ट, जनपद गोरखपुर बिंध्यावासिनी पार्क के पास पूर्वी गेट पार्किग में आई0पी0एल0 ट्राफी के मैचों में सट्टा खिलाने का कार्य किया जा रहा है। यदि शीध्रता किया जाये तो पकडे जा सकते है। इस सूचना पर वि"वास करके निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0, फील्ड इकाई, गोरखपुर टीम द्वारा मुखबिर के बताये हुये उक्त स्थान पर पहॅुचे। मुखबिर के इशारे पर बिंध्यावासिनी पार्क के पास पूर्वी गेट पार्किग में सट्टा खेलते हुए उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण को पकड़ा गया जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ से रविशंकर प्रसाद व प्रिन्स कुमार जायसवाल ने बताया कि उसका सम्पर्क कोलकाता निवासी बुकी जयदेव कुण्डू से हुआ। जयदेव कुण्डू ने बताया था कि www.skyexchange.com पर सट्टा खेला जाता है। इस लिंक को खोलने पर सट्टे से सम्बधित पेज आता है पेज को Login करने के बाद 01 प्वांइट का एक सौ रूपया देना पडता है कम से कम 100 प्वांइट 10 हजार रूपये का लेना पडता है तब बुकी जयदेव आईडी और पासवर्ड देता है। एक बार आईडी पासवर्ड मिलने पर 2 लाख रूपये में 2000 प्वाइंट मिलता है उसके बाद

पुनः प्वाइंट लेने के लिये पैसा देने पर नया आईडी पासवर्ड जयदेव द्वारा दिया जाता था। प्वाइंट लेने के लिये जयदेव से फोन से बात करके उसके बैंक खाते में पैसा ट्रान्सफर कर या कै”ा पैसा देकर जयदेव कुण्डू आईडी पासवर्ड वाट्सप पर भेजता था, तब उस प्वाइंट से आईपीएल के मैचो में पैसा लगाया जाता था। प्वाइंट जीतने पर जयदेव बैक खाते से या कैश पैसा टीमों के मौजूदा भाव के आधार पर देता था। प्वाइंट हारने पर पैसा कट जाता था। जयदेव कुण्डू की पत्नी मनमोनी कुण्डू का खाता बन्धन बैक में तथा जयदेव कुण्डू का खाता स्टेट बैक ऑफ इण्डिया में है उसी में रविशंकर प्रसाद द्वारा अपने बन्धन बैक के खाते से पैसा ट्रान्सफर करता था एवं कैश भी देता था। सट्टे बाजी के लेनदेन में जयदेव कुण्डू द्वारा रविशंकर को कमीशन के तौर पर 5 प्रतिशत धन देता था। प्रिन्स जायसवाल द्वारा अपने पहचान के लोगों से आईपीएल की अपनी मनचाही टीमों पर पैसा लगवाकर वसूली का काम करता था। हार जीत के अनुसार अपना कमीशन काट कर प्रिन्स को पैसा कैश में दे देता फिर उन पैसों को टीमों के मौजूदा भाव के अनुपात में हार जीत पर पैसा सट्टा खेलने वालो को दे देता था। रविशंकर प्रसाद के खाते में पैसा जमा निकासी व अन्य खातो में पैसा ट्रान्सफर का कार्य ग्राहक सेवा केन्द्र कुशीनगर संचालक राहुल तिवारी द्वारा रविशंकर के कहने पर किया जाता था। रविशंकर प्रसाद द्वारा जयदेव कुण्डू के अलावा सट्टे बाजी का खेल गोरखपुर बेतियाहाता में मॉ अम्बे मेडिकल स्टोर के सोमनाथ अग्रवाल द्वारा कराया जाता था। सोमनाथ अग्रवाल द्वारा भी रविशंकर प्रसाद को 5 प्रतिशत ही कमीशन देता था। दि0 27.10.2020 तक सोमनाथ अग्रवाल से सट्टेबाजी का लेनदेन चला था पैसे के लेनदेन में विवाद के उपरान्त केवल जयदेव कुण्डू से ही आईपीएल सट्टे बाजी का खेल होता रहा। रत्नेश उर्फ गुड्डू सोनी भी कभी–2 आईपीएल की टीमों पर सट्टे बाजी रविशंकर प्रसाद व प्रिन्स कुमार जायसवाल के माध्यम से खेलता था। दिनांक 01.011.2020 को भी कोलकाता नाईट राइडर्स व राजस्थान रायल के मैच में कोलकाता नाईट राइडर्स की टीम पर 5000 रू का सट्टा लगाया था। बरामद अंगूठी व चैन के बारे में बताया कि यह सट्टे के पैसे से ही खरीदी गयी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पर दाखिल कर उनके विरूद्ध मु0अ0सं0–1310/2020 धारा–13 उ0प्र0 सार्वजिनक जुआ अधि0 पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एटीएस :जाली भारतीय मुद्रा के दो अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार

5,97,000 रु) मूल्य की उच्च गुणवत्ता .High Quality) की जाली भारतीय मुद्रा बरामद

दिनांक ,नवंबर 02 :2020

तहसीन वसीम

एटीएस ,उत्तर प्रदेश को आसूचना प्राप्त हुई कि मालदा , पश्चिम बंगाल से भारी मात्रा में जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी UP इस अभिसूचना को को। व एनसीआर में की जा रही है .प्र.उ द्वारा विकसित किया गया जिससे बांग्लादेश से जाली ATS व एनस .प्र.भारतीय मुद्रा आयात कर उ◌ीआर में परिचालन करने वाला एक गिरोह प्रकाश में आया जिसमें तहसीन खानवसीम .मो , । व इनके अन्य सहयोगी शामिल थे

एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऑपरेशन में द्वारा दिनाँक UP ATS 01.11.तहसीन खान ,अभियुक्तों 2 आगरा से ,को जीरो पॉइंट 20 वसीम को .एवं मोगिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से भारी मात्रा में)5,97,000 सभी नोट । जाली भारतीय मुद्रा बरामद हुई (.रु -/ । मूल्य के थे .रु 500

इस गिरफ्तारी बरामदगी/ के सम्बन्ध में मु08 .सं.अ./20 अंतर्गत धारा -489बी,48बी120 सी एवं9 आई-थाना .सी.पी. लखनऊ पर दर्ज-जनपद , एटीएसकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. **तहसीन खान पुत्र अनवर खान ,**निवासी। बुलंदशहर-जनपद ,पोस्ट व थाना गुलावटी ,महमदाबाद-ग्राम :
2. **मो ,मुस्तकीम .वसीम पुत्र मो .**वर्तमान निवासी -गली नंबर :13 ,55 फुटा रोड मकान ,नियर डेंटल कॉलेज ,नंबर-12-13। नई दिल्ली ,द्वारका-थाना ,द्वारका मोड़ ,
   मूल निवासी। बिहार ,सीतामढ़ी-जनपद ,नानपुर-थाना,बाथ-पोस्ट ,फैजपुर-ग्राम :

बरामदगी

1. 5,97,000 रुपये मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा) ।500 रु(नोट 1194 के कुल .
2. -हुंडई आई) अदद कार 110 (
3. 6 अदद मोबाईल(स्मार्ट फ़ोन) -
4. अदद आधार कार्ड 1
5. अदद ड्राइविंग लाइसेंस 1
6. अदद वोटर कार्ड 1
7. अदद डेबिट कार्ड 2

प्रारंभिक पूछताछ विवरण :

- अभियुक्तों ने बताया गया कि वे उक्त जाली मुद्रा मालदाबंगाल से लेकर आ रहे थे और यह भी बताया कि मालदा में .प , यह जाली मुद्रा बांग◌्लादेश से आती है । विस्तृत पूछताछ जारी है।

अग्रिम कार्यवाही :

गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा जिससे कि भारतीय जाली मुद्रा की तस्करी। परिचालन के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया जा सके /